

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:-

डॉ० विरेन्द्र विक्रम यादव,
अध्यक्ष, खेलकूद परिषद
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय
जौनपुर (उ०प्र०),



website : vbspu.ac.in

Fax : 05452-252244

पत्रांक: 274/क्रीड़ा/2018

दिनांक-05.09.2018

Email: sportsvbspu@gmail.com

सेवा में,

समस्त प्राचार्य,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर

विषय:- सत्र 2018-2019 की अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं का आवंटन, प्रतियोगिता सम्पन्न कराने एवं प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की नियमावली तथा अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

खेलकूद परिषद की वार्षिक बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार सत्र 2018-2019 की क्रीड़ा सम्बन्धी कार्यवाही करने का कष्ट करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि संलग्न निर्देशों, नियमों एवं मानकों के अनुसार ही अपने महाविद्यालय की टीमों को अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भेजें तथा क्रीड़ा परिषद का वार्षिक क्रीड़ा शुल्क रूपया 40.00 प्रति छात्र की दर से खाता संख्या-0100000794, वित्त अधिकारी, खेलकूद परिषद, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के नाम आर. टी. जी. एस. के माध्यम से परीक्षा फार्म के साथ अलग से भेजने का कष्ट करें, अन्यथा आपके महाविद्यालय की टीम प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित रह जायेगी, जिसका उत्तरदायी आपका महाविद्यालय होगा।

अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता सम्पन्न कराने हेतु जिन महाविद्यालयों को प्रतियोगिता आवंटित की गयी है, उन महाविद्यालयों के प्राचार्य/आयोजन सचिव से विशेष अनुरोध है कि प्रतियोगिता वार्षिक खेलकूद कैलेंडर में निर्धारित तिथि पर ही सम्पन्न कराने की व्यवस्था करें, जिससे अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु विश्वविद्यालय की टीम का चयन करके समय से भेजा जा सके। यदि आपके महाविद्यालय द्वारा आवंटित अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता को सम्पन्न नहीं कराया जाता है तो अगले वर्ष आपके महाविद्यालय को किसी भी प्रतियोगिता का आवंटन नहीं किया जायेगा।

समस्त सम्बन्धित प्राचार्य से अनुरोध है कि यदि सत्र 2019-2020 की अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता का आयोजन (पुरुष एवं महिला) अपने महाविद्यालय में कराना चाहते हैं तो दिनांक 30 जून, 2019 तक वरीयता के आधार पर किन्हीं दो प्रतियोगिताओं का माँग पत्र जो आपके महाविद्यालय में सम्पन्न कराया जा सकती है, को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त कराने का कष्ट करें।

सहयोग हेतु अग्रिम आभार सहित।

- संलग्नक- 1. वार्षिक खेलकूद कैलेंडर, 2. प्रतियोगिता संबंधी नियम एवं निर्देश
3. अर्हता सम्बन्धी मानक 4. इलिजिबिलिटी प्रोफार्म
5. ए. आई. यू. द्वारा प्रेषित इलिजिबिलिटी रूल्स।

भवदीय,

अध्यक्ष
खेलकूद परिषद

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. वरिष्ठ आशुलिपिक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी के अवलोकनार्थ।
3. वरिष्ठ आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
4. परीक्षा नियन्त्रक/उप कुलसचिव परीक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त पर्यवेक्षक।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, परिसर में संचालित पाठ्यक्रम।

अध्यक्ष
खेलकूद परिषद

अन्तर महाविद्यालयीय एवं अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता से सम्बन्धित नियमावली एवं निर्देश-

(क) आयोजन सचिव :-

- (1) अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता आयोजित कराने की तिथि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित खेलकूद कैलेंडर के अनुरूप समस्त महाविद्यालयों को 10 दिन पूर्व सूचित करना आवश्यक होगा।
- (2) प्रतियोगिता आयोजन तिथि की सूचना निम्न के पास भेजी जाय-
क-सचिव, खेलकूद परिषद, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
ख-सम्बन्धित प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक।
ग-समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
- (3) आयोजन सचिव को प्रतिभागी खिलाड़ियों के निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की जाँच करनी होगी-
क-प्रत्येक खिलाड़ियों का इलिजिविल्टी फार्म।
ख-प्रत्येक खिलाड़ी के वर्तमान सत्र का परिचय-पत्र, सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है।
ग-विश्वविद्यालय टीम के चयनित खिलाड़ियों के हार्डस्कूल एवं इण्टर का मूल प्रमाणपत्र या मूल अंकपत्र से आयु तथा उसको खेलने की अवधि की जाँच करना आवश्यक है।
घ-जिन छात्रों का परीक्षाफल अनुचित साधन के प्रयोगों से या किन्हीं कारणवश रूका हो ऐसे खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। परीक्षाफल घोषित हो जाने के बाद पुनः प्रवेश लिये बिना छात्र नहीं खेल सकता।
- (4) ऐसे महाविद्यालय जिसका वार्षिक क्रीड़ा शुल्क सत्र 2017-2018 तक का विश्वविद्यालय क्रीड़ा कोष में नहीं जमा है उन महाविद्यालयों की टीम किसी भी दशा में प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगी।
- (5) विश्वविद्यालय की चयनित टीम के समस्त खिलाड़ी जो स्नातक कक्षा में हों की इलिजिविल्टी फार्म के साथ 10+2 एवं जो परा स्नातक कक्षा में हों 10+2 तथा स्नातक अन्तिम वर्ष की छायाप्रति संलग्न कर सचिव, खेलकूद परिषद, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- (6) विश्वविद्यालय की चयनित टीम की सूची एवं सम्बन्धित खिलाड़ी के इलिजिविल्टी फार्म पर पर्यवेक्षकों का हस्ताक्षर करारक तथा सभी प्रतिभागी टीम के सदस्यों का संलग्न प्रोफार्मा भरकर सचिव, खेलकूद परिषद, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर या परिषद के कर्मचारियों को जो प्रतियोगिता स्थल पर उपलब्ध हों को प्रतियोगिता समाप्ति के दिन ही उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- (7) आयोजक महाविद्यालय को पर्यवेक्षक, टीम मैनेजर तथा खिलाड़ियों हेतु उचित आवासीय व्यवस्था प्रदान करना होगा।
- (8) आधार कार्ड, मोबाइल नं० एवं प्रवेश फीस रसीद नं० अनिवार्य रूप से जांच कर लिया जाय कि पात्रता प्रमाण- पत्र पर खिलाड़ी द्वारा अंकित किया गया है कि नहीं।
- (9) आयोजक महाविद्यालय द्वारा 12 या उससे कम सदस्यों की टीम में 2, क्रिकेट टीम में 6, हैण्डबाल, फुटबाल एवं हाकी में 4 अतिरिक्त खिलाड़ियों का चयन किया जाय।
- (10) टीम के साथ टीम प्रबन्धक न होने की दशा में उक्त महाविद्यालय की टीम अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। खेलकूद परिषद द्वारा उक्त प्रतियोगिता हेतु नामित पर्यवेक्षक किसी टीम का टीम प्रबन्धक नहीं हो सकता।

(ख) महाविद्यालयों के प्राचार्यों हेतु :

- (1) आधार कार्ड, मोबाइल नं० एवं प्रवेश फीस रसीद नं० अनिवार्य रूप से पात्रता प्रमाण- पत्र पर अंकित किया जाय।
- (2) प्रतियोगिता हेतु अर्हता प्राप्त निर्णायकों से ही प्रतियोगिता सम्पन्न करायी जाय।
- (3) महाविद्यालय के अभिलेख से यह सुनिश्चित किया जाय कि विश्वविद्यालय का वार्षिक क्रीड़ा शुल्क महाविद्यालय द्वारा जमा किया गया है। यदि नहीं जमा किया गया है तो वार्षिक क्रीड़ा शुल्क जमा किया जाय, अन्यथा महाविद्यालय की टीम प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती है।
- (4) महाविद्यालय टीम को प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु भेजना।
- (5) महाविद्यालय की टीम के खिलाड़ियों के वर्तमान सत्र का परिचय-पत्र एवं इलिजिविल्टी फार्म के फोटो को प्रमाणित करना आवश्यक है तथा फोटो पर हस्ताक्षर स्पष्ट किया जाय।
- (6) टीम के साथ टीम मैनेजर को भेजना।
- (7) विश्वविद्यालय की टीम में चयनित खिलाड़ियों को कालेज से विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से कालेज तक का यात्रा-भत्ता महाविद्यालय द्वारा देय होगा।
- (8) अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त खिलाड़ियों की महाविद्यालयवार सूची (नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं कक्षा) विश्वविद्यालय के खेलकूद परिषद को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता सम्पन्न कराये जाने हेतु दी गई अनुदान की धनराशि का समायोजन/उपभोग प्रमाण पत्र प्रतियोगिता सम्पन्न होने के 30 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अगले सत्र में आपके महाविद्यालय को कोई भी प्रतियोगिता आवंटित नहीं की जायेगी।
- (10) अनुदान की धनराशि से प्रतियोगिता सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्णायकों को ₹० 800 प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक/निर्णायक शुल्क एवं नियमानुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ता का भुगतान किया जाय।
- (11) प्रतियोगिता समाप्ति के 10 दिन के अन्दर आयोजन का पूरा विवरण महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करारक उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध/प्रेषित कराया जाय।

(ग) विश्वविद्यालय टीम मैनेजर एवं कोच के लिए निर्देश :

- (1) अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता प्रारम्भ होने की तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक खेलकूद परिषद, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर में उपस्थित होकर चेक तथा अन्य आवश्यक प्रपत्र अवश्य प्राप्त कर लें।
- (2) विश्वविद्यालय टीम के खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय द्वारा दैनिक भत्ता ₹० 600.00 प्रति दिन, मार्ग व्यय एवं ₹० 150/-प्रति खिलाड़ी आनुषांगिक व्यय आदि का भुगतान नियमानुसार किया जाना है।
- (3) खिलाड़ियों के दैनिक भत्ता का भुगतान यात्रा प्रारम्भ से यात्रा समाप्ति तक नियमानुसार किया जाय।
- (4) अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता के आयोजन सचिव से प्रतियोगिता स्थल पर पहुँचने तथा छोड़ने का प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी टीम को अपना अन्तिम मैच खेलने के उपरान्त 24 घण्टे के भीतर स्थान छोड़ देना अति आवश्यक होगा। टीम प्रबन्धकों

(2)

द्वारा समायोजन के साथ प्रतियोगिताओं की टाई सीट एवं पहुँचने तथा छोड़ने का प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना टाई सीट के समायोजन किया जाना सम्भव नहीं होगा।

- (5) अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में प्रत्येक मैच के उपरान्त रु० 25/- प्रति मैच प्रति खिलाड़ी की दर से जलपान हेतु भुगतान करना होगा।
- (6) प्रतियोगिता समाप्ति के 15 दिन के अन्दर अपना तथा खिलाड़ियों के लिए ली गई अग्रिम धनराशि का समायोजन हेतु देयक प्राप्त कराना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिति में अगली प्रतियोगिता हेतु आपको टीम प्रबन्धक नामित किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- (7) विश्वविद्यालय की टीम अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु जाने के लिए टीम के सभी सदस्य (खिलाड़ी) एवं टीम प्रबन्धक तथा टीम कोच विश्वविद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराकर एवं अपना किट तथा ट्रेकशूट प्राप्त कर गंतव्य स्थान के लिए विश्वविद्यालय परिसर से ही प्रस्थान करेंगे।

(घ) पर्यवेक्षक के लिए (पर्यवेक्षक के कार्य):-

- (1) आयोजक महाविद्यालय के प्राचार्य से प्रतियोगिता प्रारम्भ होने की तिथि ज्ञात करना।
- (2) विश्वविद्यालय की टीम का नियमानुसार चयन करना तथा प्रतियोगिता के आयोजन की पर्यवेक्षण आख्या प्रतियोगिता समाप्ति के बाद विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि को प्राप्त कराये/अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करें।
- (3) चयनित खिलाड़ियों की सूची एवं इलिजिविल्टी फार्म पर पता सहित हस्ताक्षर करना।
- (4) आयोजक महाविद्यालय के प्राचार्य से पर्यवेक्षण कार्य के सम्पादन का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर यात्रा एवं दैनिक भत्ता तथा पारिश्रमिक देयक के

साथ संलग्न कर भुगतान हेतु खेलकूद परिषद, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर के पास भेजा जाय।

- (5) कोई भी व्यक्ति एक साथ टीम प्रबन्धक/पर्यवेक्षक/चयनकर्ता, कोच निर्णायक (रेफरी) आदि का उत्तरदायित्व नहीं वहन कर सकता। एक समय में मात्र उपरोक्त में से किसी एक कार्य का उत्तरदायित्व ही सौंपा जायेगा जिसका वह पात्र होगा।

अन्तर महाविद्यालयीय एवं अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं हेतु सामान्य नियम :-

- (1) जिन खिलाड़ियों के पास वर्तमान सत्र का प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित परिचय पत्र तथा इलिजिविल्टी फार्म नहीं है। उस खिलाड़ी को आयोजन सचिव द्वारा किसी भी दशा में प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जायेगा। परिचय पत्र तथा इलिजिविल्टी फार्म के फोटो पर केवल प्राचार्य का ही हस्ताक्षर एवं सील मान्य होगा। अन्य किसी अधिकारी का नहीं।
- (2) जिस महाविद्यालय के खिलाड़ी के पास हाईस्कूल एवं इण्टर का मूल अंक पत्र या प्रमाण नहीं है उस खिलाड़ी को प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जायेगा। किसी भी दशा में फोटो स्टेट काफी मान्य नहीं होगी।
- (3) एथलेटिक पुरुष एवं महिला, भारोत्तोलन पुरुष एवं महिला, जूडो, ताइक्वाण्डो, कुश्ती एवं बाक्सिंग टीम का चयन मानक एवं भार वर्ग के आधार पर होगा। मानक एवं भारवर्ग पत्र के साथ संलग्न है।
- (4) बैडमिन्टन एवं टेबुल टेनिस प्रतियोगिता में पर्यवेक्षकगण एवं आयोजन सचिव द्वारा चुनी गई टीम के घोषणा करने के 20 मिनट के अन्दर ऐसे प्रतिभागी जो कि उक्त चल रही प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं और पराजित होकर बाहर हो गये हैं उनको रु० 100.00 शुल्क तथा आवेदन पत्र जो कि आयोजन सचिव को सम्बोधित होगा, उन्हें चयनित टीम के किसी भी एक खिलाड़ी को चैलेन्ज करने का अधिकार होगा और यदि चैलेन्ज कर्ता चयनित टीम के खिलाड़ी जिसको उसने चैलेन्ज किया था हरा देता है तो हारने वाला टीम से बाहर हो जायेगा और चैलेन्जकर्ता टीम में सम्मिलित हो जायेगा। पूर्व से टीम में चयनित सदस्य जो चैलेन्जकर्ता से हार कर टीम से बाहर हो चुका है उपरोक्त रु० 100.00 तथा आवेदन के साथ वर्तमान चयनित टीम के किसी एक खिलाड़ी को चैलेन्ज कर सकता है। किसी भी दशा में एक से अधिक बार किसी को चैलेन्ज करने का अधिकार नहीं होगा। पर्यवेक्षकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे आयोजन सचिव के सहयोग से प्रतियोगिता के प्रारम्भ होने के पूर्व दोनों टीमों के खिलाड़ियों के पात्रता प्रमाण-पत्र, परिचय पत्र, तथा हाईस्कूल/समकक्ष, इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा के मूल प्रमाणपत्र की जाँच करेंगे।
- (5) किसी अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता में महिलाओं की कम से कम तीन टीमें तथा पुरुषों की कम से कम चार टीमें भाग लेगी तभी वह प्रतियोगिता मान्य होगी।
- (6) चयनित खिलाड़ी की इलिजिविल्टी पर आयोजन सचिव तथा पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक हैं यदि इनमें से किसी का हस्ताक्षर चयनित खिलाड़ी की इलिजिविल्टी पर नहीं है तो वह विश्वविद्यालय की टीम में चयनित नहीं समझा जायेगा।
- (7) आयोजन सचिव द्वारा नामित सदस्य द्वारा प्रपत्रों की जाँच के दौरान निम्न बातों पर विशेष ध्यान देंगे-
(क) इलिजिविल्टी पर खिलाड़ी का अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से पूरा एवं स्पष्ट नाम लिखा हो यदि हिन्दी में हो तो स्पष्ट अक्षरों में।
(ख) खिलाड़ी के पिता एवं माता का पूरा नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो।
(ग) खिलाड़ी के पत्र व्यवहार का पूरा पता स्पष्ट रूप से लिखा हो।
(घ) खिलाड़ी की कक्षा (जिसमें अध्ययनरत हो या जिसकी परीक्षा दिया हो उसका सत्र और परीक्षाफल घोषित न हुआ हो स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए)।
(च) जिस खिलाड़ी ने इण्टर मीडिएट परीक्षा सन् 2011 या उसके बाद उत्तीर्ण किया हो वही खिलाड़ी उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र होगा।
(छ) जिस खिलाड़ी की आयु 1 जुलाई 2018 को 17 वर्ष से अधिक एवं 25 वर्ष से कम है (स्नातक स्तर पर 5 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 3 वर्ष तक) वही प्रतियोगिता में भाग ले सकता है।
(ज) खिलाड़ी के वर्तमान सत्र के परिचय पत्र का जाँच करना, फोटो पर प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर एवं सील होना आवश्यक है। परिचय पत्र पर किसी प्रकार की ओवर राइटिंग कटा-पिटा नहीं होना चाहिए, अन्यथा आयोजक महाविद्यालय / विश्वविद्यालय द्वारा आपत्ति उठाई जाती है और टीम प्रबन्धकों को काफी कठिनाई होती है।
- (9) ए० आर्इ० यू० नई दिल्ली द्वारा प्रेषित संशोधित इलिजिविल्टी नियम अंग्रेजी में टंकित प्रति संलग्न है। यही नियम अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में लागू होंगे। इन्हीं नियमों का पालन वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय की अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता में भी किया जाना अनिवार्य होगा। यदि उपरोक्त पात्रता नियमों के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रमाण प्राप्त होता है तो वे इसकी सूचना सम्बन्धित टीम मैनेजर को देंगे।
- (10) टीम के कोच एवं मैनेजर दोनों एक ही महाविद्यालय के प्राध्यापक नहीं होंगे। टीम का कोच विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद द्वारा नामित किया जायेगा।

डॉ०(विरेन्द्र विक्रम यादव)
अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

मानक सत्र 2018-2019

एथलेटिक प्रतियोगिता-(पुरुष/महिला)				बाक्सिंग पुरुष भार वर्ग	
क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	पुरुष वर्ग	महिला वर्ग		
1	100 Mts.	10.96 Sec	12.49 Sec	Light Fly Weight (46 to 49 kg)	
2	200 Mts.	22.17 Sec	25.06 Sec	Fly Weight (over 49 to 52 kg)	
3	400 Mts.	49.85 Sec	56.92 Sec	Bantam Weight (over 52 to 56 kg)	
4	800 Mts.	2:01:48 Min	2:16.05 Min	Light Weight (over 56 to 60 kg)	
5	1500 Mts.	3:58:40 Min	4:34.81 Min	Light Welter Weight (over 60 to 64 kg)	
6	5000 Mts.	15:07:90 Min	17:13:59 Min	Welter Weight (over 64 to 69 kg)	
7	10000 Mts.	31:48:47 Min	35:22:001Min	Middle Weight (over 69 to 75 kg)	
8	110 Mts. Hardil	15.54 Sec	14.37 Sec	Lt Heavy Weight (over 75 to 81 kg)	
9	400 Mts. Hardil	55.92 Sec	1:07.56 Sec	Heavy Weight (over 81 to 91 kg)	
10	20 K.M. Walk/5KM Walk	1:36:54 Sec	27:39.00 Sec	Sp Heavy Weight (above 91 kg)	
11	Long Jump	7.03 Mts.	5.34Mts.	बाक्सिंग महिला भार वर्ग	
12	High Jump	2.05 Mts.	1.60 Mts.	Light Fly Weight (over 45 to 48 kg)	
13	Triple Jump	14.97 Mts	12.29 Mts.	Fly Weight (over 48 to 51 kg)	
14	Pole Vault	4.00Mts.	2.70 Mts.	Bantam Weight (over 51 to 54 kg)	
15	Shot Put	15.88 Mts.	10.35 Mts.	Feather Weight (over 54 to 57 kg)	
16	Discus Throw	48.70 Mts	41.83 Mts	Light Weight (over 57 to 60 kg)	
17	Jawelin Throw	63.48 Mts.	38.09 Mts.	Welter Weight (over 60 to 64 kg)	
18	Hammer Throw	52.70 Mts.	40.96 Mts.	Light Middle Weight (over 64 to 69 kg)	
19	Decathlon/Heptathlon	5608 Points	4156 Points	Middle Weight (over 69 to 75 kg)	
20	Half Marathon	1:10.39 Hour.	1:26.10 Hour.	Lt Heavy Weight (over 75 to 81 kg)	
21	Steeple Chase	9.42.68 Min.	11.20.26 Min.	Heavy Weight (above 81 kg)	

कुश्ती (पुरुष) फ्री स्टाइल			कुश्ती (पुरुष) ग्रीको रोमन		कुश्ती (महिला) फ्री स्टाइल		जूडो	ताइक्वाण्डो पुरुष	ताइक्वाण्डो महिला
1	Up to	57kg	Up to	55kg	Up to	50 Kg	56 K.G.	54 K.Gr.	46 K.Gr.
2	Up to	61kg	Up to	60kg	Up to	53 Kg	60 K.G.	58 K.Gr.	49 K.Gr.
3	Up to	65kg	Up to	63kg	Up to	55 Kg	66 K.G.	63 K.Gr.	53 K.Gr.
4	Up to	70kg	Up to	67kg	Up to	57 Kg	73 K.G.	68 K.Gr.	57 K.Gr.
5	Up to	74kg	Up to	72kg	Up to	59Kg	81 K.G.	74 K.Gr.	62 K.Gr.
6	Up to	79kg	Up to	77kg	Up to	62Kg	90 K.G.	80 K.Gr.	67 K.Gr.
7	Up to	86kg	Up to	82kg	Up to	65Kg	100 K.G.	87 K.Gr.	73 K.Gr.
8	Up to	92kg	Up to	87 Kg	Up to	68kg	open	Above 87 kg	Above 73 K.Gr.
9	Up to	97kg	Up to	97 Kg	Up to	72Kg			
10	Above	125kg	Above	130 Kg	Above	76kg			

भारोत्तोलन (पुरुष)			भारोत्तोलन (महिला)		पावर लिफ्टिंग (पुरुष)		पावर लिफ्टिंग (महिला)		शरीर सौष्ठव
क्र. सं.	भार वर्ग	स्नैच क्लीन एण्ड जर्क	भार वर्ग	स्नैच क्लीन एण्ड जर्क	भार वर्ग	स्क्वैट बैचप्रेस डिड	भार वर्ग	स्क्वैट बैचप्रेस डिड	
1	56 K.G.	190 kg.	48 K.G.	117 kg.	59 K.G.	527.5 kg.	47 K.G.	267.5 kg.	60 K.G.
2	62 K.G.	200 kg.	53 K.G.	113 kg.	66 K.G.	545 kg.	52 K.G.	282.5 kg.	65 K.G.
3	69 K.G.	230 kg.	58 K.G.	143 kg.	74 K.G.	535 kg.	57 K.G.	257.5 kg.	70 K.G.
4	77 K.G.	245 kg.	63 K.G.	121 kg.	83 K.G.	600 kg.	63 K.G.	232.5 kg.	75 K.G.
5	85 K.G.	240 kg.	69 K.G.	130 kg.	93 K.G.	675 kg.	72 K.G.	335 kg.	80 K.G.
6	94K.G.	250 kg.	75 K.G.	135 kg.	105 K.G.	682.5 kg.	84 K.G.	232.5 kg.	85 K.G.
7	105 K.G.	239 kg.	90 K.G.	144 kg.	120 K.G.	540 kg.	+84 K.G.	312.5 kg.	90 K.G.
8	+105K.G.	261 kg.	+90K.G.		+120K.G.	515 kg.			+90 K.G.

डॉ०(विरेन्द्र विक्रम यादव)
अध्यक्ष

Association of Indian Universities

28-07-2017



(Sports Board)

Subject: Revised Eligibility Rules for participation of students/athletes in National University Games:2017-18 onwards.

1. The matter with regard to revised Eligibility Rules was considered and discussed thread-bare in the meeting. Sports Board decided to adopt and approve the decision of International University Sports Federation (FISU) regarding the amendment/change in "Age Limit" for participation of student athletes in FISU sporting competitions from 2017-18 onwards. Accordingly, the new approved "Age Limit" from 17 to 25 years shall be applicable for participation of Indian Universities contingent/teams in all the sporting events, including the discipline of Basketball organized by the FISU.
2. Lot of queries have been pouring in AIU office from the member universities regarding Revised Eligibility Rules as these are mandatory for the purpose of admission and selection of teams for participation at zonal and Inter Zonal(National) tournaments.
3. Further, it was also decided to implement the above Age limit from 17 to 25 years alongwith existing "eligibility conditions" put in place for participation of bonafide and full time (regular) students, for participation in National University Games from 2017-18 onwards alongwith following additional terms and conditions:
4. Accordingly, a copy of Revised Eligibility Rules is uploaded on our website www.aiu.ac.in for advance information and necessary action of all the stakeholders. Further, a copy of the same is being circulated to all member universities for advance information of all the stakeholders in due course of time.
 - Age limit of the students shall be minimum 17 years and maximum upto 25 years
 - Only a bonafide, full time student, who is enrolled for a course of the University, which is of a minimum duration of one academic year, and whose examination is conducted by the university, shall be eligible to participate in the Inter-University tournaments.
 - Students of open Universities shall be considered to be bonafied students and shall be eligible to participate provided they fulfil other conditions.
 - Ph.D., M. Phil., Compartment, etc. students will be eligible to participate only if in terms of the concerned university rules they are regarded to be bonafide students and fulfil other conditions laid down in this behalf. All students participating in the Inter University Tournaments shall fulfil the following conditions:
 - Not more than 8 years have elapsed since a student passed the examination qualifying him/her for first admission to a university or college affiliated to a university. The 8 year period mentioned above shall be distributed as below:-
 - i. not more than 5 years after passing 10+2 or equivalent while pursuing graduate courses/studies.

ii. Not more than 3 years after passing Graduation or equivalent while pursuing post graduate course/studies. irrespective of any other conditions like change of class/course/faculty, joining lower class from higher, changing academic to professional courses or vice versa, provided that students admitted, after passing +2 examination, to graduate courses of more than 3 years duration like Medical, Engineering, Agriculture, Pharmacy etc. shall be eligible to participate in the 'Inter-University tournaments for the actual length of such graduate courses/studies.

- Only students, who are less than 25 years of age as on first July of the academic year in which the tournament is held, can participate.
- Students shall not be full-time employees of Public or Private sector as the case may be.
- A student shall not be allowed to represent more than one University during a single academic year.
- Provisional admission to a course or University shall not make the student eligible to represent the University.
- In case of a student migrating from one University to another, his/her migration case will be considered eligible only after his/her admission in the new university is regularized and he/she is admitted as a bonafide student by the new university.
- No Objection Certificate (NOC) is mandatory to be eligible for participation for those students, who received or receiving stipend/financial support for pursuing excellence in competitive sports as career from Public or Private Sector to support their studies, as the case may be.

Note: As per existing practice, the comments and queries with regard to the Revised Eligibility Rules received from member universities, if any, will be reported to the next Sports Board Meeting for consideration.
